[2021] 2 एस.सी.आर 104

हिमाचल सड़क परिवहन निगम और अन्य

बनाम

हिमाचल सड़क परिवहन निगम सेवानिवृत्त

कर्मचारी संघ

(सिविल अपील सं. 7230/2012)

22 फरवरी, 2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति]

पेंशनः पेंशन योजना को लागू करने के लिए कट-ऑफ तिथि का निर्धारण - चाहे वह भेदभावपूर्ण हो - अपीलार्थी निगम के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे - अपीलार्थी निगम ने वर्ष 1995 में पेंशन योजना शुरू की - पेंशन के कार्यान्वयन के लिए कट-ऑफ तिथि 05.06.1995 निर्धारित की गई थी, जो उस तारीख से है जिस दिन कैबिनेट/सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दी गई थी - प्रत्यर्थी-संघ की याचिका कि कट-ऑफ तिथि का निर्धारण मनमाना और भेदभावपूर्ण था – अभिनिर्धारितः अपीलार्थी-निगम के कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे और 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और अपीलार्थी निगम के कर्मचारी, जो सेवा में थे और 5.6.1995 के बाद जारी रहे, उन्हें एक सजातीय वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है - सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे, अपनी सेवानिवृत्ति पर पहले ही ऐसी योजना के लाभ प्राप्त कर चुके थे, और उन कर्मचारियों की तुलना में अलग वर्ग का गठन किया जो 05.06.1995 को सेवा में थे - नियोक्ता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता के लिए नई योजनाएं और लाभ शुरू करने के लिए हमेशा खुला रहता है - जब भी मौजूदा कर्मचारियों के लिए इस तरह का नया लाभ दिया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी इस तरह का लाभ केवल इस आधार पर नहीं ले सकते हैं कि वे भी निगम के पूर्व कर्मचारी थे - जब प्रत्यर्थी-संघ के सदस्य सेवानिवृत्त हुए, तो कोई पेंशन योजना नहीं थी - वे केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे और सेवानिवृत्ति पर, उन्हें पहले से ही ऐसी योजना का लाभ दिया गया था - इस

मामले को देखते हुए, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन योजना के अनुदान के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः

अभिनिर्धारित : 1. प्रत्यर्थी - संघ के सभी सदस्य, सेवा में रहते हुए, अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे। 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को उन पर लागू सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया था। चूंकि पेंशन योजना प्रासंगिक समय के दौरान अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए यह किसी भी सेवा शर्तों के उल्लंघन का मामला भी नहीं था। पेंशन योजना को दिनांक 06.10.1995 की अधिसूचना के माध्यम से 05.06.1995 से प्रभावी करके पेश किया गया है, जिस तारीख को कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी है। वे कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे और 05.06.1995 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और वे कर्मचारी जो सेवा में थे और अपीलार्थी निगम के 05.06.1995 के बाद भी बने रहे, उन्हें सजातीय वर्ग नहीं माना जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे, अपनी सेवानिवृत्ति पर पहले ही ऐसी योजना के लाभ प्राप्त कर चुके थे, उन कर्मचारियों की तुलना में अलग वर्ग का गठन करते हैं जो 05.06.1995 को सेवा में थे। [अनुच्छेद 19]

राजस्थान राज्य और एक अन्य बनाम अमृत लाल गांधी और अन्य **(1997) 2 एससीसी 342 : [1997] 1 एससीआर 121-पर निर्भर किया गया था।**

भारत संघ और एक अन्य बनाम देवकी नंदन अग्रवाल **1992 सप्ल (1) एससीसी 323 : [1991] 3 एससीआर 873 ;** सुब्रत सेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2001) 8 एससीसी 71 : [2001] (3) सप्ल एससीआर 140 - लागू नहीं है।**

डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ **(1983) 1 एससीसी 305: [1983] 2 एससीआर 165;** पंजाब राज्य बनाम अमर नाथ गोयल **(2005) 6 एससीसी 754: [2005] 2 पूरक एससीआर 549 ;** आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम एन सुब्बारायुडू और अन्य **(2008)14 एससीसी 702 : [2008] 5 एससीआर 522 ;** सुचेत सिंह यादव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2019) 11 एस.सी.सी. 520;** ऑल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन इसके सचिव बनाम मणिपुर राज्य और अन्य **(2019) 9 स्केल 282 : [2019] 9 SCR 905;**

आर.एल मारवाह बनाम भारत संघ और अन्य **1987(4) एससीसी 31 : [1987] 3 एससीआर 928-को संदर्भित किया गया।**

निर्णय विधि संदर्भ

[1987] 3 एससीआर 928	**को निर्दिष्ट था।**	**अनुच्छेद 15**
[1991] 3 एससीआर 873	**अप्रयोज्य था।**	**अनुच्छेद 15**
[2001] 3 सप्ल एससीआर 140	**लागू नहीं होने वाला।**	**अनुच्छेद 15**
[1983] 2 एससीआर 165	**को निर्दिष्ट था।**	**अनुच्छेद 16**
[2005] 2 सप्ल एससीआर 549	**में निर्दिष्ट था।**	**अनुच्छेद 16**
[2008] 5 एससीआर 522	**को निर्दिष्ट था।**	**अनुच्छेद 17**
(2019) 11 एससीसी 520	**को संदर्भित था।**	**अनुच्छेद 18**
[2019] 9 एससीआर 905	**को निर्दिष्ट था।**	**अनुच्छेद 18**
[1997] 1 एससीआर 121	**पर निर्भर था।**	**अनुच्छेद 20**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 7230/2012

सिविल रिट याचिका संख्या 1362/2001 में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8.1.2009 से

विकास महाजन, एएजी हिमांशु त्यागी, विनोद शर्मा, अनिल कुमार, अमरनाथ सिंह, एम.सी. ढींगरा, श्रीमती प्रिया पुरी, यति शर्मा, रंजय दुबे, सुश्री रश्मी सचदेवा, शरद कुमार पुरी, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति

1. यह अपील हिमाचल सड़क परिवहन निगम द्वारा दायर की गई है और दूसरी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शिमला में सिविल रिट याचिका संख्या 1362/2001 में पारित 08.01.2009 के निर्णय और आदेश से व्यथित है।

2. हिमाचल सड़क परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत की गई है। निगम के कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होते थे। अपीलकर्ता-निगम ने वर्ष 1995 में एक अधिसूचना दिनांक 06.10.1995 जारी करके एक पेंशन योजना शुरू की और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को अपनाया। दूसरे अपीलकर्ता ने निगम द्वारा तैयार की गई योजना को मंजूरी दे दी है। पेंशन योजना 05.06.1995 से लागू की गई थी, यानी उस तारीख से जिस दिन योजना को कैबिनेट/सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 05.06.1995 से अधिसूचना की तारीख, अर्थात, 06.10.1995 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए और सेवा में कर्मचारियों के लिए, पेंशन योजना का विकल्प चुनने या अंशदायी भविष्य निधि के तहत जारी रखने का विकल्प दिया गया था। योजना का खंड 5, पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है।

3. 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से मिलकर प्रत्यर्थी - संघ ने निम्नलिखित राहतों के अनुदान के लिए मूल आवेदन (घ) संख्या 237/1996 में मूल आवेदन दायर करके प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटायाः

> "i) उन कर्मचारियों को पेंशन देने की अंतिम तिथि जो 5 जून, 1995 को निगम की सेवा में थे, को अपास्त कर दिया जाए और अलग रखा जाए;
>
> ii) आवेदकों यानी 5 जून 1995 से पहले के कर्मचारियों को पेंशन का हकदार माना जा सकता है क्योंकि 5 जून 1995 से 6 अक्टूबर 1995 के बीच अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों को उक्त योजना के खंड 5 के अनुसार लाभ दिया गया है;
>
> iii) आवेदकों को पेंशन देने से इनकार करने में प्रत्यर्थी निगम की कार्रवाई को अवैध, अन्यायपूर्ण, अनुचित, मनमाना और अनुच्छेद 14, 16, 21 का उल्लंघन घोषित किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी - संघ ने ***डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ***[1] और कई अन्य निर्णयों के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि कट-ऑफ तिथि का निर्धारण मनमाना और भेदभावपूर्ण था।

4. अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी-संघ द्वारा दायर मूल आवेदन को चुनौती दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने निगम के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, जो 05.06.1995 से प्रभावी है, जिस तारीख को कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी है। अपीलकर्ताओं की दलील थी कि निगम के सभी कर्मचारी, जो 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें अंशदायी भविष्य निधि के लाभ सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पहले ही कर दिया गया था, जैसे कि कट-ऑफ तारीख तय की गई थी, यानी, 05.06.1995, पेंशन योजना को लागू करने के लिए भेदभावपूर्ण नहीं था।

5. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 19.06.2001 के निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी - संघ द्वारा दायर मूल आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना आरंभ करने के लिए कट-ऑफ तिथि नियत करने के हकदार हैं और ऐसा निर्धारण भेदभावपूर्ण नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संघ के सभी कर्मचारी, जो अपनी सेवानिवृत्ति पर अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित थे, पहले ही ऐसी निधि का लाभ उठा चुके हैं। अधिकरण ने आगे देखा कि, चूंकि कैबिनेट ने 05.06.1995 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी थी, इसलिए इस योजना को उस तारीख से प्रभावी कर दिया गया था। यह निष्कर्ष दर्ज करके कि जो कर्मचारी 05.06.1995 से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, वे एक अलग श्रेणी का गठन करते हैं और उन कर्मचारियों के समान नहीं रखे जाते हैं जो 05.06.1995 को अपीलकर्ता-निगम की सेवा में थे, मूल आवेदन को खारिज कर दिया।

6. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले और आदेश से व्यथित प्रतिवादी-संघ ने 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 1362 के माध्यम से शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दायर रिट याचिका में, मुख्य रूप से प्रतिवादी-संघ का मामला था कि, पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए निगम द्वारा तय की गई कट-ऑफ तारीख, यानी 05.06.1995 भेदभावपूर्ण है और मांगी गई वस्तु के साथ इसका कोई उचित संबंध हासिल करने के लिए नहीं है। संघ की यह दलील थी कि निगम के सभी कर्मचारी एक समरूप वर्ग का गठन करते हैं और वर्ग के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है। आक्षेपित निर्णय और दिनांक 08.01.2009 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी है कि अपीलार्थी-निगम की ओर से पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कट-ऑफ तिथि, अर्थात, 05.06.1995 लेने के लिए कोई कारण सामने नहीं आया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वह योजना जिसे 06.10.1995 को अधिसूचित किया गया था, प्रत्यर्थी संघ के सदस्यों और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों पर इस शर्त के साथ लागू होगी कि उन्हें अंशदायी भविष्य निधि

योजना के तहत प्राप्त राशि को उचित समय के भीतर जमा करना होगा। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 19.06.2001 के आदेश को अपास्त कर दिया है, जो मूल आवेदन (ख) संख्या 237/1996 में पारित किया गया था।

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित, सड़क परिवहन निगम इस सिविल अपील के माध्यम से हमारे समक्ष है।

8. हमने अपीलार्थी-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अभिवक्ता श्री हिमांशु त्यागी और प्रत्यर्थी - आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अभिवक्ता श्री एमसी ढींगरा को सुना है।

9. अपीलार्थी-निगम के विद्वान अभिवक्ता श्री हिमांशु त्यागी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि यद्यपि दिनांक 06.10.1995 की अधिसूचना के माध्यम से कट-ऑफ तिथि, अर्थात 05.06.1995 को नियत करने में कोई भेदभाव नहीं है, उच्च न्यायालय ने वैध कारण बताए बिना रिट याचिका को अनुमति दी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अंशदायी भविष्य निधि योजना का लाभ उठाकर 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एक अलग वर्ग का गठन करते हैं। अंशदायी भविष्य निधि योजना का लाभ उठाने के बाद, उनकी सेवानिवृत्ति पर, यह दलील देना संभव नहीं है कि मौजूदा कर्मचारियों और 05.06.1995 और 06.10.1995 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए अधिसूचित पेंशन योजना भेदभावपूर्ण है। जो कर्मचारी 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए, और जो कर्मचारी वर्तमान में सेवा में हैं, उन्हें एक सजातीय वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भावी लाभ प्रदान करना हमेशा खुला रहता है। जब ऐसी योजना इसके अनुमोदन की तारीख, यानी 05.06.1995 से लागू की जाती है, तो इसे 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों तक लागू नहीं किया जाता है। पेंशन योजना को 05.06.1995 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा निर्धारण या तो मनमाना है या अवैध है।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी - आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अभिवक्ता श्री एम.सी. ढींगरा ने प्रस्तुत किया है कि पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कट-ऑफ तिथि, यानी 05.06.1995 तय करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि निगम के सभी कर्मचारी एक सजातीय वर्ग का गठन करते हैं और अपीलकर्ता-निगम को ऐसे कर्मचारियों के वर्ग के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि, चूंकि कट-ऑफ तारीख तय करने के लिए अपीलकर्ता-निगम द्वारा कोई वैध कारण नहीं बताया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को सही तरीके से अनुमति दी

है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अभिवक्ता की आगे की प्रस्तुतियाँ यह हैं कि, हालांकि पेंशन योजना को अधिसूचना दिनांक 06.10.1995 द्वारा अधिसूचित किया गया था, इसे 05.06.1995 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी कर दिया गया था, जैसे कि 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी ऐसा लाभ नहीं देने का कोई कारण नहीं है। तर्कों के साथ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान अभिवक्ता ने सिविल अपील को खारिज करने का अनुरोध किया।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अभिवक्ता को सुनने के बाद, हमने उच्च न्यायालय के विवादित आदेश, अधिकरण द्वारा पारित आदेश और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया है।

12. निगम द्वारा पेंशन योजना का लाभ देने के लिए कटऑफ डेट के निर्धारण के विवादास्पद मुद्दे में प्रवेश करने से पहले, हमें पार्टियों की दलीलों और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री से उभरने वाले कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

13. प्रत्यर्थी - संघ के सदस्यों को प्रारंभ में मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम द्वारा नियोजित किया गया था। आदेश दिनांक 24.09.1974 द्वारा, उक्त निगम का नाम बदलकर "हिमाचल सड़क परिवहन निगम" कर दिया गया और अधिसूचना दिनांक 01.10.1974 के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 02.10.1974 से ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं अपने हाथ में ले लीं। प्रत्यर्थी - संघ के सभी सदस्य, जो सेवानिवृत्त हो गए थे, 02.10.1974 से निगम द्वारा उनकी सेवाएं लेने के बाद, अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे। राज्य सरकार ने पेंशन योजना को 06.10.1995 को अधिसूचित किया था, हालाँकि, इसे 05.06.1995 से लागू किया गया था। प्रशासनिक अधिकरण ने प्रतिवादी की ओर से ***डी.एस. नकारा*** [1] के मामले और जिन अन्य निर्णयों पर भरोसा किया था, उनसे तथ्यों में अंतर करते हुए यह माना है कि मौजूदा मामले में जो मुद्दा उठता है, वह उन मामलों से अलग है। अधिकरण ने माना है कि प्रत्यर्थी - संघ के सदस्य अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित थे और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति पर इस तरह का लाभ उठाया था, जबकि पेंशन की योजना दिनांक 06.10.1995.की अधिसूचना के अनुसार 05.06.1995 से लागू की गई थी। अधिकरण ने इस निष्कर्ष को अभिलिखित करते हुए कि अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ का लाभ उठाकर पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी एक भिन्न श्रेणी का गठन करते हैं और उन्हें 05.06.1995 को निगम की सेवा में कार्यरत उन कर्मचारियों के समान नहीं रखा गया है, जिस तारीख को योजना को मंजूरी दी गई थी, मूल आवेदन को खारिज कर दिया है।

14. जब प्रत्यर्थी-संघ के दावे को अस्वीकार करने वाले अधिकरण के आदेश को सिविल रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, तो उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कुछ मामलों को संदर्भित करके, प्रश्नगत मुद्दे पर किसी भी स्वतंत्र मूल्यांकन के बिना, रिट याचिका को आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी है।

15. ***डी. एस. नकारा*** [1]**,** के मामले में, इस न्यायालय ने पेंशन सेवानिवृत्त लोगों को केवल एक सजातीय वर्ग के रूप में माना था और 1972 के नियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगियों को एक वर्ग के रूप में माना गया था, क्योंकि पेंशन का भुगतान अंशदायी भविष्य निधि के लाभार्थियों के विपरीत, पेंशनभोगियों के लिए जीवन भर एक निरंतर दायित्व था। उक्त मामले में, यह कभी नहीं माना गया कि पेंशन सेवानिवृत्त और सेवा में कर्मचारी एक सजातीय वर्ग का गठन करते हैं***। आर. एल. मारवाह बनाम भारत संघ और अन्य*** [2] के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि लाभ प्रदान करने के लिए तारीख निर्धारित करने का, प्राप्त किए जाने के लिए वांछित उद्देश्य के साथ संबंध होना चाहिए। प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। इसके अलावा, ***भारत संघ और एक अन्य बनाम देओकी नंदन अग्रवाल*** [3] का मामला उदारीकृत पेंशन योजना के अनुदान के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने से संबंधित है। यहां तक कि ***सुब्रत सेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** [4] के मामले में, जहां संशोधित पेंशन योजना की प्रयोज्यता के प्रयोजन के लिए एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी एक सजातीय वर्ग का गठन करते हैं और ऐसे लाभों को बढ़ाने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त सभी मामले जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर भरोसा किया गया है, वे प्रासंगिक नहीं हैं और इस मामले के तथ्यों पर उत्पन्न होने वाले मुद्दे को तय करने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है।

16. हालांकि ऐसे मामलों की लंबी कतार है, जहां इस न्यायालय द्वारा कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की वैधता पर विचार किया जाता है, हम उस मामले के कानून को सीमित करते हैं और संदर्भित करते हैं जो मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक है। ***पंजाब राज्य बनाम अमर नाथ गोयल*** [5] के मामले में, मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई मात्रा के लाभ के अनुदान के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि की वैधता की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सरकार द्वारा अनुरोध किया गया वित्तीय अवरोध कट-ऑफ तिथि के निर्धारण के लिए एक वैध आधार था और ऐसा निर्धारण मनमाना, तर्कहीन या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं था। ***डी.एस. नकारा*** [1] के मामले के साथ तथ्यों को अलग करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 29 में अभिनिर्धारित किया, जो निम्नानुसार हैः

"29. ***डी.एस. नकारा*** [1]**,** जो कर्मचारियों के मामले का मुख्य आधार है, विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, जो वर्तमान मामले से काफी अलग है। यह पेंशन लाभों के संशोधन और कट-ऑफ रेखा खींचकर और कट-ऑफ तिथि पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संशोधित पेंशन लाभ प्रदान करके पेंशनभोगियों के दो समूहों में वर्गीकरण का मामला था। लागू किया गया मानदंड "सेवा में होना और निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त होना" था। इस न्यायालय ने माना कि उदारीकृत पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, इस तरह के मानदंड को लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह मनमाना और भेदभावपूर्ण स्वभाव है। न्यायालय द्वारा दिया गया कारण यह था कि जो कर्मचारी एक निर्दिष्ट तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए, और जो उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, वे पेंशनभोगियों का एक वर्ग बनाते हैं। पेंशन लाभ के उद्देश्य से उन्हें अलग-अलग वर्गों/समूहों में वर्गीकृत करने का प्रयास किसी भी समझदार दिशा-निर्देश पर आधारित नहीं था, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध था। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंशन के मामलों में भी, इस न्यायालय के बाद के फैसलों ने ***डी. एस. नकारा*** [1]में अपनाए गए कठोर दृष्टिकोण को काफी हद तक कम कर दिया है, जैसा कि हम बाद में टीएन बिजली बोर्ड बनाम आर.वीरसामी ("वीरसामी") में देखेंगे। किसी भी स्थिति में, यह पेंशन जैसे निरंतर लाभ का मामला नहीं है; यह ग्रेच्युटी की तरह एकमुश्त लाभ है।

17**. *आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम एन. सुब्बारायुडु और अन्य*** [6] के मामले में, यह देखते हुए कि ***डी. एस. नकारा***[1]के मामले में एक कठोर दृष्टिकोण लिया गया था, इस न्यायालय ने इसे काफी हद तक कम कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना आर्थिक स्थितियों, वित्तीय बाधाओं, प्रशासनिक और अन्य परिस्थितियों जैसे कई कारकों के आधार पर एक कार्यकारी कार्य है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही कार्यपालिका की ओर से किसी विशेष तिथि के निर्धारण के लिए कोई कारण नहीं बताया गया हो, तब भी न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कट-ऑफ तिथि से कोई स्पष्ट रूप से मनमौजी या अपमानजनक परिणाम न हो।

18. ***सुचेत सिंह यादव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** [7] के मामले में, जिसमें हम में से एक पक्ष है, (माननीय अशोक भूषण, जे.), रक्षा बलों के कमीशन अधिकारियों के दावे की जांच करते समय, अर्थात, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें भारत सरकार के आदेश दिनांक 21.11.1997 के आधार पर अगला उच्च वेतनमान देने के लिए, जो पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जारी किया गया था। रिपोर्ट, इस कोर्ट ने भेदभाव की दलील को स्वीकार

नहीं किया है. उक्त निर्णय में, यह माना गया है कि पेंशनभोगी, पेंशन के प्रयोजनों के लिए, एक वर्ग का गठन करते हैं और ऐसी योजनाएं जो पेंशनभोगियों को कट-ऑफ तिथि के आधार पर वर्गीकृत करती हैं, तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित न हो।मामले के तथ्यों पर, उपरोक्त निर्णय में यह माना गया है कि भारत सरकार द्वारा 21.11.1997 को जारी किया गया आदेश केवल मौजूदा अधिकारियों पर लागू है, सेवानिवृत्त लोगों पर नहीं। इसके अलावा ऑल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन के मामले में इसके ***सचिव बनाम मणिपुर राज्य और अन्य*** [8], जिनमें से, हम में से एक पक्ष है, (माननीय एम.आर.शाह, न्यायमूर्ति), जब कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.04.1999 की वैधता थी, 01.01.1996 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित करके पेंशन की मात्रा को संशोधित करने के लिए जारी किए गए आदेश पर सवाल उठाया गया है, इस न्यायालय ने माना है कि सभी पेंशनभोगी केवल एक सजातीय वर्ग बनाते हैं और यह माना जाता है कि संशोधित लाभों के लाभों को विस्तारित करने के लिए तिथि का ऐसा निर्धारण किया गया है। पेंशनभोगियों के लिए यह मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

19. मामले के मौजूदा तथ्यों पर वापस आते हुए, ऊपर बताए गए मामले के कानून को लागू करने से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-संघ के सभी सदस्य, सेवा में रहते हुए, अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे। वे सभी कर्मचारी जो 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उन्हें उन पर लागू सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया। चूंकि पेंशन योजना प्रासंगिक समय के दौरान अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए यह किसी सेवा शर्तों के उल्लंघन का मामला भी नहीं था। पेंशन योजना दिनांक 06.10.1995 की अधिसूचना के माध्यम से 05.06.1995 से लागू की गई है, जिस तारीख को कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है। जो कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे और 05.06.1995 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जो कर्मचारी अपीलकर्ता-निगम की सेवा में थे और 05.06.1995 के बाद भी जारी रहे, उन्हें एक सजातीय वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे, अपनी सेवानिवृत्ति पर पहले से ही ऐसी योजना का लाभ प्राप्त कर चुके थे, उन कर्मचारियों की तुलना में अलग वर्ग का गठन करते हैं जो 05.06.1995 को सेवा में थे। पेंशन योजना को 05.06.1995 से प्रभावी करने का एक वैध कारण है, हालाँकि अधिसूचना 06.10.1995 को जारी की गई थी। कट-ऑफ तिथि, यानी, 05.06.1995 इस आधार पर तय की गई है कि कैबिनेट ने इस तिथि से योजना को मंजूरी दे दी है। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, नियोक्ता के वित्तीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता के लिए नई योजनाएं और लाभ पेश करना हमेशा खुला रहता है।जब भी मौजूदा कर्मचारियों

के लिए ऐसा नया लाभ दिया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल इस आधार पर ऐसा लाभ नहीं ले सकते हैं कि वे भी निगम के पूर्व कर्मचारी थे। अपीलार्थी-निगम की विशिष्ट याचिका के बावजूद कि योजना का लाभ 05.06.1995 से बढ़ाया गया था, उच्च न्यायालय ने गलती से एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि ऐसी कट-ऑफ तिथि चुनने का कोई कारण नहीं दिया गया है। यह सच है कि सभी पेंशनभोगी एक वर्ग का गठन करते हैं और जब भी संशोधन किया जाता है, तो आमतौर पर इस तरह का लाभ सभी पेंशनभोगियों को दिया जाता है, लेकिन साथ ही, मामले में परिदृश्य पूरी तरह से अलग है। इस मामले के तथ्यों पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब प्रत्यर्थी - संघ के सदस्य सेवानिवृत्त हुए, तो कोई पेंशन योजना बिल्कुल भी नहीं थी। वे केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे और सेवानिवृत्ति पर, उन्हें पहले से ही ऐसी योजना का लाभ दिया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, केवल इस विशाल याचिका पर कि निगम के सभी कर्मचारी सजातीय वर्ग का गठन करते हैं, पेंशन योजना के अनुदान के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

20. ***राजस्थान राज्य और अन्य बनाम अमृत लाल गांधी और अन्य*** [8] के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना लाभदायक है। उक्त मामले में तय किया गया अनुपात वर्तमान मामले में मौजूद मुद्दे के समान है। उपरोक्त मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा वर्ष 1986 में की गई सिफारिशों के अनुसार, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। राज्य सरकार की मंजूरी मांगी गई थी, जिसे 01.01.1990 से प्रभावी योजना शुरू करने के लिए दिया गया था। जब उच्च न्यायालय द्वारा 01.01.90 से कट-ऑफ तिथि के ऐसे निर्धारण में त्रुटि पाई गई और उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए 01.01.1986 से प्रभाव देने के लिए निर्देश जारी किए, तो इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 01.01.1990 से कट-ऑफ तिथि का निर्धारण मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 16 और 17 को निम्नानुसार पढ़ा जाएः

> **"16.** उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को वर्तमान मामले में लागू करने पर, हमें उच्च न्यायालय द्वारा 1-1-1990 के स्थान पर 1-1-1986 की तारीख रखने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। यह स्पष्ट है कि एक पेंशन योजना शुरू करने के लिए, जिसमें वित्तीय निहितार्थों की परिकल्पना की गई थी, राजस्थान सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे गये 16-4-1991 के पत्र में इस प्रकार कहा गया था :

“उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार ने 1-1-1990 से राज्य के विश्वविद्यालयों में पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य विधानमंडल ने विश्वविद्यालय पेंशन नियम और सामान्य भविष्य निधि नियम पारित किये हैं। अत: इस पत्र के साथ विश्वविद्यालय पेंशन विनियम एवं सामान्य भविष्य निधि विनियम की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय की सक्षम संस्था या सिंडिकेट का अनुमोदन प्राप्त कर इन विनियमों को विश्वविद्यालय में एक साथ लागू किया जाये तथा कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी सूचित की जाये।”

17. विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट ने, जब 1986 में अपनी सिफारिशें अग्रेषित की थीं, तब कोई विशेष तारीख नहीं थी जिससे पेंशन योजना लागू की जानी थी। उनकी सिफ़ारिशें अनुमोदन के अधीन थीं। राज्य विधानमंडल द्वारा विश्वविद्यालय पेंशन नियम और सामान्य भविष्य निधि नियम पारित करने के बाद सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा था कि 1-1-1990 की कट-ऑफ तारीख का औचित्य "पूर्णतः आर्थिक" था। यह नहीं कहा जा सकता कि कट-ऑफ तिथि तय करते समय भुगतान क्षमता प्रासंगिक या वैध विचार नहीं है। विश्वविद्यालय, 1991 में, संभावित रूप से लागू करने के लिए वैध रूप से पेंशन विनियम बना सकता था। हालाँकि, इसने उन्हें पूर्वव्यापी रूप से सीमित करने का विकल्प चुना ताकि पेंशन विनियमों को पूर्वव्यापी संचालन देने के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कवर किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि 1-1-1990 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पेंशन या भविष्य निधि प्राप्त करने का विकल्प चुन सकेंगे। कट-ऑफ तिथि तय करते समय विनियमों को पूर्वव्यापी बनाने के वित्तीय प्रभाव पर एकमात्र विचार किया जा सकता है। हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह कट-ऑफ तारीख मनमाने ढंग से या बिना किसी कारण के तय की गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने और 01-01-1986 की तारीख को 01-01-1990 के स्थान पर रखने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।"

21. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए मामलों में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अंतर को ध्यान में रखे बिना और स्वतंत्र रूप से विचाराधीन मुद्दे पर विचार किए बिना, रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है। उसी को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, इस सिविल अपील की अनुमति है। 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 1362 में पारित दिनांक 08.01.2009 के उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है, परिणामस्वरूप कहा गया है कि रिट याचिका अपास्त कर दी गई है, जिसमें व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं है।

देविका गुजराल अपील मंजूर।

1. एआईआर 1983 एससी 130 = (1983) 1 एससीसी 305
2. 1987 (4) एससीसी 31
3. 1992 सप्लि. (1) एससीसी 323
4. (2001) 8 एससीसी 71
5. (2005) 6 एससीसी 754
6. (2008)14, एससीसी 702
7. (2019)11 एससीसी 520
8. (2019)9 स्केल, 282
9. (1997) 2 एससीसी 342

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।